मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-22/2012/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 12/06/2012

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग,
2 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषयः-उज्जैन चेरिटेबल अस्पताल, उज्जैन को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

...........0000000...........

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (ब) के अन्तर्गत उज्जैन चेरिटेबल अस्पताल, उज्जैन को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	Total Knee Jt Replacament	90,000/-
2	Total Hip Jt Replacament	80,000/-
3	MRI Head	3000/-
4.	Hemodialysis	500/-
5.	CT head	1600/-
6.	CT Whole Abdomen	2092/-
7.	CT chest	1400/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों मे पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

5- संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगें ।

निरन्तर......2

7— उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8— उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन का ही होगा ।

9— संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10—संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/—यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12.9.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

HC 13 SEP 2012 4005

DIR(MR)

पृ.क्रमांक एफ 9—22/2012/सत्रह/मेडि—3 भोपाल,दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)—1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2— सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक12/09/2012के संदर्भ में अग्रेषित।

3— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4— संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5— संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6— संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7— अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.।

8— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

9— समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10— लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11— संचालक, उज्जैन चेरिटेबल अस्पताल,उज्जैन।

12.9.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्र. एफ 9-03/08/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रति,

1 शासन के समस्त विभाग,
2-- अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3-- समस्त विभागाध्यक्ष,
4-- रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर ,म.प्र.,
5-- समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6-- समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.।

विषयः-- सेवा सदन आई हास्पिटल संत हिरदाराम नगर बैरागढ़,भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत ।

-----000-----

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-03/08/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 25/10/2010 के अनुक्रम मे सेवा सदन आई हास्पिटल संत हिरदाराम नगर बैरागढ़,भोपाल का शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 04/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 04/01/2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/--यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-03/2008/सत्रह/मेडि-3 भोपाल,दिनांक 12 /09/2012

प्रतिलिपिः-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।
2-- सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।
3-- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएे, म.प्र.।
4-- संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5-- संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6-- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7-- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ,भोपाल म.प्र. ।
8-- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9-- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10-- लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11-- संचालक, सेवा सदन आई हास्पिटल संत हिरदाराम नगर बैरागढ़, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-[illegible] / [illegible] / सत्रह / मेडि-3 भोपाल,दिनांक [illegible] / 09 / 2012

HC

14 SEP 2012

आवक क्रमांक 3994

प्रति,

1— शासन के समस्त विभाग,

2— अध्यक्ष राजस्व मंडल,ग्वालियर,

3— समस्त विभागाध्यक्ष,

4— रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,ग्वालियर / जबलपुर / इन्दौर ,म.प्र.,

5— समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,

6— समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.।

विषयः— ग्रेटर कैलाश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत ।

—000—

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–17 / 10 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 02 / 08 / 2010 के अनुक्रम में ग्रेटर कैलाश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच / उपचार हेतु दिनांक 02 / 08 / 2011 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–14 / 2010 / 17 / मेडि–3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच / उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 02 / 08 / 2013 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/—यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633 / 1622 / 2012 / नि / चार, दिनांक 12 / 09 / 2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12/9

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–21 / 2010 / सत्रह / मेडि–3 भोपाल,दिनांक 12 / 09 / 2012

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2— सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633 / 1622 / 2012 / नि / चार, दिनांक 12 / 09 / 2012 के संदर्भ में अग्रेषित।

3— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।

4— संचालक, चिकित्सा सेवाऐं / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5— संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6— संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।

7— अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ,इन्दौर म.प्र. ।

8— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. ।

9— समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

10— लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11— संचालक, ग्रेटर कैलाश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर ।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

12/9

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-16/[illegible]/सत्रह/मेडि-3 भोपाल,दिनांक 12/09/2012

वल्लभ भवन भोपाल
14 SEP 2012
आवक क्रमांक 4009

प्रति,

1— शासन के समस्त विभाग,
2— अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3— समस्त विभागाध्यक्ष,
4— रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर ,म.प्र.,
5— समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6— समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.।

विषयः— स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाईन सेंटर भोपाल, को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत ।

----000----

राज्य शासन एतदद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–16/20101/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 02/08/2010 के अनुक्रम में स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाईन सेंटर भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 02/08/2011 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–14/2010/17/मेडि–3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 02/08/2013 तक के लिये वृद्वि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/—यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12/9
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DS (MR)

पृ.क्रमांक एफ 9–03/2008/सत्रह/मेडि--3 भोपाल,दिनांक 12 /09/2012

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2— सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।
3— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4— संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5— संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6— संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7— अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय ,भोपाल म.प्र. ।
8— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9— समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10— लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11— स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाईन सेंटर भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

12/9
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–1/2007/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.।

विषयः– त्रिवेणी हार्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत

–––000–––

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–1/2007/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 25/10/2010 के अनुक्रम में त्रिवेणी हार्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 21/03/2012 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–14/2010/17/मेडि–3, दिनांक 2.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 21/03/2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12/9
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dir(MR)

पृ. क्रमांक एफ 9–1/2007/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1/2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि./चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11– संचालक, त्रिवेणी हार्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12/9
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
HC
14 SEP 2012
आवक क्रमांक 3998

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य ए॰ परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय,ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः– सी.आर.गार्डी हास्पिटल, उज्जैन को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत ।

---000---

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 15/02/2010 के अनुक्रम में सी.आर.गार्डी हास्पिटल, उज्जैन को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 15/02/2011 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–14/2010/17/मेडि–3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 15/02/2013 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 12 /09/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि./चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11– संचालक, सी.आर.गार्डी हास्पिटल, उज्जैन (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

नि.सहा./स्वा. आयुक्त/ 3281
दिनांक 13/09/12

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–21/10/सत्रह/मेडि–3 भोपाल दिनांक 12/09/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.।

विषयः– भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बावत ।

——000——

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–21/10/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 25/10/2010 के अनुक्रम में भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 25/10/2011 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–14/2010/17/मेडि–3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 25/10/2013 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12/9/12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dir (MR)
13.9.12

Dy.D. (MR)
1319

पृ.क्रमांक एफ 9–21/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट) 1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ,इन्दौर म.प्र. ।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. ।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11– संचालक, भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर ।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

12/9/12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

S1
14/9/12

11.9.2012